

आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

गवाह स्वयं सहायता समूह

एस ,एच, जी, नाम	गवाह स्वयं सहायता समूह
बी, एम, सी, कमेंटी	सगनम- 2
एफ, टी, यू ,रेज	ताबो
डी, एम, यू	सिपिति
एफ सी सी यु/सर्किल	शिमला

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना

(जाईका वित्तपोषित)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	कार्यकारिणी सांराश	1-2
02	परिचय	3
03	स्वयं सहायता समूह की सूची	4
04	समूह का विवरण	5
05	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	6 – 7
06	आय सृजन गतिविधियों से सम्बंधित उत्पादन	8
07	उत्पादन हेतु नियोजन	9
08	बिक्री का विवरण	10
09	समूह के मध्य प्रबंधन का विवरण	10
10	शक्ति दुर्बलता अवसर जोखिम का विश्लेषण	11
11	संभावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	11 – 13
12	उद्यम हेतु अनुमानित लागत	14
13	उद्यम लागत	14
14	समूह की वित्तीय आवश्यकता	14
15	सम विच्छेदन बिंदु की गणना (ब्रेक इविन प्वाइंट)	15

16	स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूची	16
17	समूह का सहमति पत्र	17
18	समूह के सदस्य का फोटो	18

1, परिचय

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राज्य है। जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बहुत उपयुक्त है तथा अनेक छोटी बड़ी नदियां व घाटियां प्रदेश की सुंदरता को बढ़ाती हैं प्रदेश की कुल आबादी 30 लाख है। इस का भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग किलोमीटर है जो कि शिवालिक पहाड़ियों के ऊपरी हिमालय के शीत मरुस्थल तक फैला हुआ है। यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल के 12 जिलों में स्पिति जिला पर्यटन कृषि व जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है।

गांव सगनम डाकघर, सगनम तहसील स्पिति जिला लाहौल स्पिति हिमाचल प्रदेश में स्थित है जिले की घाटियों को भौतिक संरचना के आधार पर तरह तरह के नाम दिये गए हैं जिस में एक नाम सगनम है। सगनम स्पिति मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है।

गांव सगनम में लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि बागवानी है। अधिकतर लोगो के पास बहुत का जमीन है जिसके कारण उनकी आजीविका का निर्वाह अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है।

जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नगदी फसल व बागवानी का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं गांव में लोग बुनाई का कार्य भी कर रहे हैं। परंतु उत्पादन पारंपरिक तरीके से होता है। इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है इस समस्या को दूर करने के लिए व उत्पादको का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उत्तम किस्म के यंत्रों के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। उनकी जानकारी की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र एवं प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना ने गांव में ग्राम वन समिति डेमुल के गठन के बाद लोगो को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बारे में बताया परियोजना के माध्यम से डेमुल में 04 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया गवाह व चाम्पा स्वयं सहायता समूह व ताक्योम के रूप में किया गया इसके बाद गवाह स्वयं सहायता समूह ने खड़ी का कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह में 8 सदस्य शामिल हुए।

गवाह स्वयं सहायता समूह का फोटोग्रफ



गाँव सगनम

2. गवाह स्वयं सहायता समूह की सूची।

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद	आयु	लिंग	योग्यताक	श्रेणी	संपर्क
01	छेरिंग पालजो	प्रधान	26	स्त्री	बहरवी	एस.टी	9418959071
02	दिचेन छोडन	सचिव	33	स्त्री	बी.ए.	एस.टी	9459220308
03	पदमा डोलकर	सदस्य	46	स्त्री	अनपढ़	एस.टी	8988197073
04	निमा छोडन	सचिव	48	स्त्री	अनपढ़	एस.टी	8988675119
05	पदमा छोडन	सदस्य	45	स्त्री	अनपढ़	एस.टी	8988275179
06	सोनम छोडन	सदस्य	31	स्त्री	दसवीं	एस.टी	9459149950
07	छेरिंग जंगमो	सदस्य	33	स्त्री	बहरवी	एस.टी	9459965308
08	कुन्जंग लामो	सदस्य	19	स्त्री	ग्यारवी	एस.टी	8988775731

3. गवाह स्वयं सहायता समूह का विवरण।

01	समूह का नाम	गवाह स्वयं सहायता
02	ग्राम वन विकास समिति	स्पिति
03	वन परिक्षेत्र क्षेत्रीय तकनीकी इकाई	वाजा

04	वन मंडल मंडलीय प्रबंधन इकाई	स्थिति
05	गांव	स्नानम
06	विकासखंड	काजा
07	थजला	लाहौल स्थिति
08	समान सूची समूह में कुल सदस्यों की संख्या	08
09	समूह की गठन की तिथि	4/7/2023
10	बैंक खाता संख्या	50075784406
11	बैंक का नाम और शाखा जहां समूह का खाता संचालित है।	Kcc Bank Kaza
12	स्वयं सहायता समूह की मासिक बचत	100
13	कुल बचत	800 (एक माह में)
14	सदस्यों को आपस में दिया गया ऋण	
15	नगदी जमा करने की सीमा	
16	चुकौती की स्थिति	

4. गांव की भौगोलिक स्थिति।

01	जिला मुख्यालय से दूरी	30 किलोमीटर लगभग
02	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	काजा 30 किलोमीटर लगभग
03	प्रमुख बाजार का नाम और दूरी	काजा
04	08 किलोमीटर लगभग	काजा 30 किलोमीटर लगभग
05	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पादन का विक्रय विपणन किया जाएगा	काजा, रामपुर, कूल्लू, मनाली।
06	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के संबंध में गांव की कोई विशेष सूचना	
07	पिछले पूर्व और आगामी संपर्कों की स्थिति	

(1) व्यवसाय योजना की आवश्यकता

ग्राम वन विकास समिति डेमुल में महिलाओं का पहले से गठित समूह है जिस में समूह की सभी महिलाएं खड़ी का कार्य करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती हैं। इसलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से JICA परियोजना से बुनाई की मशीन प्रदान करने तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(2) व्यवसाय योजना के उद्देश्य

- समूह के सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पादन को उचित बाजार से जोड़ना।
- सभी सदस्य को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई व हथकरघा व्यवसाय की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- आजीविका की बढ़ोतरी।

(3) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल है।

बुनाई कोटी स्वेटर बच्चों के सेट टोपी जुराबे इत्यादी शामिल है।
हथकरघा गलीचे बनाने का कार्य शामिल है।

(4) सामुदायिक गति शीलता

इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गति शीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थी की छटनी की गयी है।

(5) समूह का निर्माण

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया तथा समूह का अध्यक्ष सचिव का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह के सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम व भाते निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(6) क्षमता का निर्माण

लाभार्थी की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

(7) मशीन व खडी इत्यादी का वितरण

समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीनें उपलब्ध करवाई जाए ताकि अच्छे ढग से कार्य कर सके।

(8) बाजार से जोडना

अपने उत्पादन बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्ते के साथ संबध स्थापित करने के लिए तैयार है त्रिकय के लिए लोकल बाजारों के दुकानदारो से जोड कर मेलो में प्रदर्शनी लगाकर आय कमाने हेतु जो

जाएगा।अधिक उत्पादन होने पर कूल्लू व रामपुर बजार के क्षेत्र में दुकानदारो से जुड कर कार्य करेगी।

(9) वित्तीय संसाधनो एवं संगधित विभागो से जोडना।

यवसाय को आगे बढाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानो से जोडने का प्रयास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंको द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओ से अवगत करवाया जाएगा तथा परियोजना द्वारा बैंकों से जोडा जाएगा।

(10) बाजार की जानकारी।

काजा, रामपुर ,कूल्लू, मनाली के क्षेत्रो मे दुकानदारो के साथ जुड कर कार्य करेगी।

(11) आपेक्षित सहायता एवं संसाधन।

वित्तीय प्रबंध (पूंजीगत व्यय का 75% श्रेणी बार परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी शेष 25% सदस्य द्वारा वहन किया जाएगा।

कुल: 10 सदस्य

तकनीकी : तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर टेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान परियोजना द्वारा दिया जाएगा।

(12) आनुमानित लाभ ।

महिलाओं के लिए घरेलु रोजगार उपलब्ध होगा।
समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका वर्धन का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।
समूह की महिलाएं इस कार्य को खाली एवं अतिरिक्त समय में कर सकती हैं।

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पादन का विवरण।

1	उत्पादन का नाम	खड़ी
2	उत्पादन की पहचान की पद्धति	
3	स्वयं सहायता समूह / समान सूची समूह / सदस्यों की सामूहिक सहमति।	हाँ

6. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण।

सर्वप्रथम स्वयं सहायता के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी ,स्वेटर, जुराबे ,बेबी सेट, टोपी ,मफलर, आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत समूह के सदस्य द्वारा उत्पादन तैयार करने में निम्न प्रक्रिया की जाएगी।

समूह के सभी सदस्य मिल कर कार्य करेंगे।
समूह में सभी सदस्य विपणन करेंगे और कच्चा माल भी लाएंगे।
समूह के सभी सदस्य प्रतिदिन 4 से 5 घण्टे काम करेंगी।

7. उत्पादन हेतु नियोजन।

प्रतिमाह कार्य दिवस : 30
प्रतिमाह कार्य करने वाले व्यक्ति : 08
कच्चे माल के स्रोत: काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।
अन्य संसाधन के स्रोत: काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।

1	उत्पादन चक्र (दिनों में) 30 दिन प्रतिदिन 4से 5 घण्टें कार्य करेंगी।	
2	प्रतिचक्र कार्यकर्ताओं की आवश्यकता सख्यां	सभी सदस्य मिल कर कार्य करेंगे।
3	कच्चे माल के स्रोत	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।
4	अन्य संसाधन के स्रोत	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।

नोट : स्वयं सहायता समूह के प्रिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाता है तथा इस व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है।

8. बिक्री का विवरण।

1	संभावित बाजार स्थल	काजा ,रामपुर ,कूल्लु , मनाली।
2	इकाई से दूरी	काजा : 30 रामपुर : 280 कुल्लु : 250 मनाली : 230
3	बाजार में उत्पादन की मांग	
4	बाजार में पहचान की प्रक्रिया	लोकल बाजारों को चिन्हित किया गया है। जैसे की काजा कूल्लु रामपुर मनाली
5	उत्पादन के संभावित खरीदार	मांग के अनुसार उत्पादन घटाया या बढ़ाया जाएगा।
6	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	स्थानीय निवासी
7	उत्पादन का विपणन तंत्र	गाँव व शहर की महिलाएं पुरुष
8	उत्पादन की विपणन रणनीति	2, समूह कार्य की निपुणता के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाएगा।

9. समूह के सदस्य के मध्यप्रबंधन का विवरण।

प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाएंगे।

समूह के सदस्य आपसी सहमती से कार्य करगी।

कार्य कुशलता एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवत्ता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा।

विपणन करने वाले सदस्य को कुल 5% कमीशन दी जाएंगी।

प्रधान व सचिव प्रबंधन का मूल्यांकन एवं आवलोकन समय समय पर करते रहेंगे।

10. शक्ति दुर्बलता अवसर जोखिम का विश्लेषण।

शक्ति।

महिलाओं में कार्य करने की लगन है।

पहले से ही सभी महिलाओं का काम करती है।

समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता।

महिलाएं कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती हैं।

कार्य के लिए 4 या 5 घण्टें ही निकाल पाना ।

अवसर ।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबधन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी ।
प्रशिक्षण से कुशलता व क्षमता में बढोतरी होगी ।
उत्पादको की लोकल व शहरों में मांग है ।
काजा , कूल्लु, रामपुर,मनाली , चंद्रताल ,पर्यटक स्थल है ।
अच्छे उत्पादन तैयार करना ।

चुनौती ।

बजार की स्थिति को ना समझना ।
अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा ।
उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी ।
अन्य (कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यों में व्यवस्था ।

11. संभावित चुनौतियों तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण।

क,स	जोखिम / चुनौतियों का विवरण	जोखिम कम करने के उपाय
1	बजार की स्थिति को ना समझना।	समय – समय पर बाजार की मांग के अनुसार चलना।
2	अच्छे उत्पादन तैयार ना करना।	उपभोक्ताओं के मनपंसद उत्पाद तैयार करना।
3	अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।	अन्य उत्पाद केंद्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व शुरू में कम लाभ कमाना।
4	उपभोक्ताओं से ताल मेल की कमी।	उपभोक्ताओं से हमेशा संपर्क में रहना।
5	कृषि बागवानी व पशुपालन कार्यों में ज्यादा व्यवस्था।	कृषि बागवानी व पशुपालन और घर के कार्य के साथ साथ बुनाई में ध्यान देना।
6	समूह में बंटवारा	समूह में बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना।
7	उत्पादन की गुणवत्ता घटने से बिक्री कम हो सकती है।	गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समूह को उच्च मापदंड रखने होंगे।

12. उद्यम हेतु अनुमानित लागत।

(1) पूजीगत व्यय।

क्रमांक	गतिविधि	मात्रा	मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश 75%	लाभार्थी अंश 25%
1	गलीचे/ खडी	08	16000	128000	96000	32000
2	योग			128000	96000	32000

(2) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए) एक महीना लिया गया है।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	छर	धनराशि
1	कच्चा माल घागा	किलोग्राम	90	380	34,200
2	सुतर घागा	किलोग्राम	50	280	14000
3	मजदूरी	दिन	30	350	10,500
4	अन्य खर्चा पेकेंज,स्टीकर,बिजली कमरा, किरया, परिवहन खर्चा इत्यादि				10000
5	कुल योग				68700

(3) उत्पादन की लागत

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1	कुल आवती लागत	68700
2	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	1066
3	योग	69766

(4) विक्रय मूल्य की गणना ।

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	छर	धनराशि T
	उत्पादन की लागत				
1	गलिचे	नंबर	20	4000	80000
2	गलिचे	नंबर	20	8000	160000
3	कुल लागत		40 नग		240000

(5) उत्पादन की अनुमानित विक्रय ।

निरधरित लाभ (प्रति टा में)

1.	ग्लीचा	80%	40	3200	64000
----	--------	-----	----	------	-------

13. उद्यम हेतु लागत – लाभ विशलेषण (एक चक्र के लिए)

क्रमांक	मद	धनराशी
	पूजीगत व्यय पर 10% वार्षिक ह्रास	1066
	आवर्ती व्यय	68700
	योग	69766
	कुल उत्पादन (न. में)	20 नग
	उत्पादन की विक्रि प्रतिमाह	64000
	उत्पादन की बुनाई से आय	64000
	कुल लाभ = विक्री मूल्य- (पूजीगत मूल्य ह्रास+ आवर्ती मूल्य) 64000 -(1066 +68700)	5766
	उत्पादन की बुनाई से सकल लाभ = कुल लाभ + मजदूरी +कमरा किराया 5766 + 10500 + 2000	18266

यह धनराशी मजदूरी व किराये की धनराशी के अतिरिक्त है

14. धन की आवकता

क्रमांक	विवरण	राशि
1	परियोजना द्वारा पूजीगत व्यय का 75% अनुदान	96000
2	लाभार्थी अंश 25% पूजीगत व्यय	32000
3	अन्य व्यय	5000
4	प्रशिक्षण	55000
	योग	188000

15. सम विच्छेदन बिन्दु (ब्रेक इविन प्वाइन्ट) की गणना।

ब्रेक इविन प्वाइन्ट = पूजीगत व्यय / विक्रय मूल्य - आवर्ती व्यय

$$= 128000 / 64000 - 68700$$

$$= 128000 / 62300$$

$$= 2.54 \text{ माह} = 2.54 \times 76 = \text{दिन लगभग}$$

अतः लगभग 70से 90 दिनों में सम विच्छेदन बिन्दु प्राप्त किया जाएगा।

16. स्वयं सहायता समूह नियमों की सूची।

1. समूह का काम : गलीचे ।
2. समूह का पता : गाँव सगनम डाकघर सगनम तहसील सिपिति जिला लाहौल सिपिति हिमाचल प्रदेश ।
3. समूह के कुल सदस्य : 08
4. समूह की पहली बैठक की तिथि ; 17 अप्रैल ।
5. समूह में हर 100 रूपए पर 2 रूपए ब्याज होगा ।
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 15 तिथि को होगी ।
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे ।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को भागिल होना पड़ेगा ।
9. स्वयं सहायता समूह का खाता हिमाचल प्रदेश KCCB KAZA भाखा में खोला है खाता संख्या नंबर 50075784406 है ।
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी ।
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बैठकों तक समूह से गेर हाज़िर रहते हैं तो उस महिला को समूह से निकाल दिया जाएगा ।
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा ।
13. भविष्य में स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे ।
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा ।
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे ।
16. अगर सदस्य किसी कारण वश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकता है अन्यथा नहीं
17. ऋण का उदेय रकम की चुकोती का समय ऋण की कि त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी ।
18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशि होनी चाहिए ।
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए ।
20. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी ।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए ।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बांटी जाएगी ।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी ।


सहमति पत्र


समूह का सहमति पत्र

आज दिनांक 26/11/22 BMC Sub Committee Sagnam-2 में ग्वाह स्वयं सहायता समूह की बैठक की अध्यक्षता प्रधान श्रीमती छेरिंग पालजोम की अध्यक्षता में हुई। जिसमें समूह के सभी सदस्यों "खडी" का कार्य करके अपने समूह की आय को बढ़ाएगी और आजीविका सुधार योजना (JICA) से जुड़ने में सभी ने रूची दिखाई है।

प्रधान
दबेग पालजोम
छेरिंग पालजोम
PRESIDENT
GVAH SELF HELP GROUP
SAGNAM, DISTT. LAHAUL & SPITI
(H.P.) 172117

सचिव
दिर्येन
SECRETARY
GVAH SELF HELP GROUP
SAGNAM, DISTT. LAHAUL & SPITI
(H.P.) 172117


President
B.M.C. Sub Committee


Divisional Forest Officer
Spiti Wildlife Division
at Kaza

गवाह स्वयं सहायता समूह का फोटोग्रफ।

 <p>दिचेन</p>	 <p>पनमा डोलकर</p>	 <p>पनमा छोडन</p>	 <p>निमा छोडन</p>	 <p>सोनम छोडन</p>
 <p>कुजांग लामो</p>	 <p>छेरिग</p>	 <p>छेरिग पालजोम</p>		